संख्या 353 /औ0वि0–1/उद्योग/2004–05

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन,
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल,
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग, दिनांक : अगस्त 26 , 2004

विषयः औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था का क्रियान्वयन।

महोदय,

औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदुपयोग उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति–2003 के अन्तर्गत "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

2. "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों एवं अनुज्ञा–पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन–पत्र तथा इनका निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराना है, ताकि निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से जारी की जा सकें।

3. "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला स्तर पर जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका तटस्थ सम्पर्क माध्यम की न होकर उक्त व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रो–एक्टिव होगी। राज्य स्तर पर यह उत्तरदायित्व निदेशक उद्योग/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल का होगा।

4. "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/अनापत्तियों/अनुज्ञा इत्यादि प्राप्त करने होते हैं, जिसमें से कुछ इकाई की स्थापना के पूर्व तथा कुछ इकाई की स्थापना के उपरान्त परन्तु उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व वांछित होते हैं। इनको आवश्यकतानुसार प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

प्रथम चरण में (इकाई की स्थापना से पूर्व)

1. लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीकरण
2. भूमि आवंटन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू उपयोग की अनुमति/प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग स्थापना की अनुमति।
3. प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र
4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन
5. निर्माण हेतु विद्युत संयोजन/विद्युत भार स्वीकृति
6. व्यापार कर पंजीयन
7. वन विभाग की अनुमति/लाइसेंस हेतु अनापत्ति

द्वितीय चरण में (इकाई की स्थापना के पश्चात्)

1. लघु उद्योग का स्थायी पंजीकरण
2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति–पत्र
3. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण
4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
5. दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण
6. ड्रग/कास्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा/अनापत्ति हेतु आवेदन
7. अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति
8. प्रोत्साहन सहायताएं (पंजीकरण तथा आवेदन प्रपत्र)

(2) उद्योग स्थापना से पूर्व तथा उद्योग स्थापना के पश्चात् वांछित अनुमोदनों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञा इत्यादि के लिए सम्बन्धित विभागों के निर्धारित आवेदन–प्रपत्रों तथा अनुदेशों को संकलित रूप से जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था उद्योग निदेशालय द्वारा की जायेगी।

(3) सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु 15 दिन में राज्य एवं जनपद स्तर पर तथा जहां क्षेत्रीय अधिकारी हों, उनके स्तर पर अपने विभाग से सम्बन्धित नोडल अधिकारी का नाम व पता, दूरभाष संख्या, फैक्स आदि का विवरण उद्योग निदेशक/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल को उपलब्ध करा देंगे।

5. उद्यमी उक्त समस्त विभागों के आवेदन प्रपत्र, जो आवश्यक हों, पूर्ण रूपेण भरकर, अनुलग्नकों के साथ वांछित प्रक्रियानुसार शुल्क भुगतान करते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रत्येक कार्य–दिवस में जमा कर सकेंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी समय या तत्काल यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण–रूपेण भरा हुआ है तथा चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र संलग्न हैं। जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल से सम्बन्धित उद्यमियों को सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को तथा अन्य शेष जनपदों से सम्बन्धित उद्यमियों को माह में प्रथम व अन्तिम शुक्रवार को प्रवर्तन पर कार्यवाही एवं प्रगति की जानकारी हेतु सम्पर्क करने को कहा जायेगा।

6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/निगमों को तत्काल प्रेषित कर उनसे पावती प्राप्त कर लेंगे। सम्बन्धित विभाग द्वारा आवेदन–पत्रों पर विश्लेषण करके यह चैक करेंगे कि उक्त आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित संलग्नकों एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन–पत्र में कोई कमी है, तो सम्बन्धित विभाग उसको लिखित रूप से इकाई तथा महाप्रबन्धक, जिला

उद्योग केन्द्र को तीन दिन के भीतर सूचित करेंगे। कमियों/आपत्तियों का निराकरण इकाई द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त आवेदन-पत्र की पूर्णता के सम्बन्ध में किसी भी अन्य प्रपत्र/सूचना आदि की माग सम्बन्धित विभाग द्वारा नहीं की जा सकेगी। उद्यमी को उसके आवेदन-पत्रों पर निर्णय सूचित करने हेतु निर्धारित समय-सारिणी में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा के दृष्टिगत् रखते हुए एक तिथि (यथासम्भव निर्धारित शुक्रवार को) सूचित कर दी जायेगी, जिस दिन वह जिला उद्योग केन्द्र में आकर निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त कर सकेगा।

7. उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के परीक्षण के लिए सम्बन्धित विभाग अपने विभाग के ऐसे स्तर के अधिकारी को, जिन्हें विभाग से सम्बन्धित नियमों, प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं आदि की समुचित जानकारी हो, को आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही के लिए नामित कर उसकी सूचना महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे ताकि मामले के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी के आदान-प्रदान में सुगमता व सीधा संवाद सम्बन्धित अधिकारी से रहे।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति समीक्षा हेतु जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौढ़ी, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल के जिला उद्योग केन्द्रों में प्रत्येक शुक्रवार को जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक अन्य विभागों के नामित अधिकारियों के साथ प्रातः 11 से 2 बजे तक उपस्थित रहेंगे, ताकि उद्यमियों के सम्पर्क करने पर उनसे सीधा संवाद कर प्रकरण के निस्तारण में सुगमता एवं शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। अन्य जनपदों में माह में प्रथम शुक्रवार तथा अन्तिम शुक्रवार को इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जायेगा। शुक्रवार को अवकाश की दशा में आगामी कार्यदिवस में बैठक आयोजित की जायेगी। प्राप्त/लंबित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रगति की जानकारी सम्बन्धित विभाग महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रत्येक साप्ताह बैठक से पूर्व बृहस्पतिवार तक उपलब्ध करा देंगे।

9. प्रत्येक विभाग आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में निस्तारण हेतु निर्धारित समय-सारिणी (परिशिष्ट-1) के अन्तर्गत ही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अपने निर्णय की लिखित सूचना उपलब्ध करा देंगे। समय-सीमा की गणना पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा तद्नुसार पावती जारी होने के दिनांक से की जायेगी।

10. यदि इस प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र की प्राप्ति के उपरान्त किसी विभाग से निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उस विभाग का निर्णय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उस आवेदन-पत्र पर स्वतः स्वीकृत (डीम्ड एप्रूवल) लिखकर हस्ताक्षर करके उद्यमी को निर्गत करेंगे तथा इस प्रकार से उद्यमी को स्वीकृति प्रदान मानी जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक 'स्वतः स्वीकृत' के केस को जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग से समय-सारिणी के अन्तर्गत निर्णय प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी निश्चित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति सक्षम विभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना औद्योगिक विकास विभाग को दी जायेगी।

11. "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक माह जिला स्तर पर "**जिला उद्योग मित्र**" द्वारा तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत

करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। जिला उद्योग केन्द्र इस सम्बन्ध में मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

12. 100 प्रतिशत निर्यातोमुखी परियोजनायें, अप्रवासी भारतीय उद्यमियों की परियोजनायें, मैगा एवं सुपर मैगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यवाही एवं वांछित स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर अनुश्रवण कर निर्णय राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

13. जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत संवाद एवं परामर्श, नये उद्योगों एवं उद्यमियों के प्रस्तावों पर दिशा–निर्देश जिला स्तर पर जिला उद्योग मित्र द्वारा निर्णित किये जायेंगे। जिन समस्याओं का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाना है, के निराकरण, उद्यमियों से सतत संवाद एवं परामर्श, औद्योगिक विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय का दायित्व राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र का होगा।

14. "एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता" व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो जायेगी तथा इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का सार्वभौमिक उत्तरदायित्व समस्त विभागाध्यक्षों का होगा।

संलग्न–परिशिष्ट–1

भवदीय,

(एम0रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठाकन संख्या 555 /उपरोक्त तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाइट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल (SIDCUL), देहरादून।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त विकास प्राधिकरण तथा निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थायें, उत्तरांचल।
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
6. अध्यक्ष, कुमांऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, काशीपुर/इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून/कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, देहरादून/उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,
औद्योगिक विकास।

परिशिष्ट–1

विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों/अनापत्तियों/ लाईसेंस इत्यादि के निर्णय के लिए अधिकतम समय–सीमा का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विभाग	अधिकतम समय–सीमा
1	उद्योग विभाग	
	क. लघु उद्योगों का अस्थायी पंजीकरण जारी करना, जिसमें 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना निहित है।	उसी दिन(Same day)
	ख. लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण, जिसमें 220 प्रकार के प्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण सहमति–पत्र निर्गत करना निहित है। औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण नियंत्रण सहमति आवेदन–पत्र जिला उद्योग केन्द्र से बोर्ड को हस्तगत कराकर उनसे पावती प्राप्त करने के उपरान्त उक्त प्रकार के लघु उद्योगों के स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदूषण नियंत्रण सहमति भी सन्निहित की जायेगी ।	एक माह
2	उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम	
	क. निर्माण कार्य हेतु विद्युत भार की स्वीकृति	पन्द्रह दिन
	ख. स्थायी विद्युत भार की स्वीकृति	एक माह
3	उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0/उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0/उद्योग विभाग ,उत्तरांचल	
	औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में भूमि/शेड का आवंटन	एक माह
4	उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण बोर्ड	
	क. अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करना	
	(1) प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु	चार माह
	(2) 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु	एक माह
	ख. कन्सेण्ट प्रदान करना	
	(1) प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु	चार माह
	(2) 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु	प्रार्थना–पत्र पावती ही सहमति है ।
	(3) अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के अतिरिक्त मध्यम एवं वृहत उद्योगों हेतु ।	एक माह
	नोट:– हैजार्डस प्रकृति के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों हेतु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा ।	
5	व्यापार कर विभाग	
	क. अस्थायी व्यापार कर पंजीकरण	तीन दिन
	ख. स्थायी व्यापार कर पंजीकरण	एक माह

6	श्रम विभाग	
	क. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना भवनों के निर्माण/कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति	
	(1)नॉन–हैजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	(2) हैजार्डस एवं मेजर हैजार्डस उद्योगों हेतु	दो माह
	ख. कारखाना अधिनियम में पंजीकरण/लाइसैंस	
	(1)नॉन–हैजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	(2) हैजार्डस एवं मेजर हैजार्डस उद्योगों हेतु	दो माह
	ग. दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण	एक माह
7	अग्नि शमन विभाग	
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति	एक माह
8	राजस्व विभाग	
	क. धारा–143 के अन्तर्गत भूमि को गैर–कृषि योग्य घोषित करना	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा ।
	ख. उत्तरांचल जमींदारी उन्मूलन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही	15 दिन
	ग. निजी/संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान की स्थापना के लिये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि कय की अनुमति तथा सीलिंग एक्ट से छूट	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नही होगा।
9	खाद्य विभाग से लाईसैन्स प्राप्त करना	10 दिन
10	एच0एस0डी0भण्डारण/विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति/अनापत्ति	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा ।
11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री निर्माण लाईसैंस (स्थापना के उपरान्त)	दो माह
12	राज्य आबकारी विभाग	
	क. राज्य आबकारी विभाग से आवंटन आश्वासन	एक माह
	ख. आबकारी लाईसैंस	एक माह
13	वन विभाग	
	वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र(वनाधारित कुछ उद्योगों हेतु)	एक माह
14	विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगरपालिका/टाऊन एरिया या नोटिफाइड एरिया /सिडकुल द्वारा कारखाना भवन मानचित्र का अनुमोदन	एक माह

2– दून घाटी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1989 द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।